न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बस्सी, जिला जयपुर

प्रा॰पत्र संख्या: 56 /2010

लालाराम पुत्र मोती जाति माली निवासी ग्राम बस्सी, तहसील बस्सी, जिला जयपुर ।

प्रार्थी

ब ना म

(1) जगदीश नारायण
(2) राधेश्याम — पुत्रान रामगोपाल
(3) जुगलकिशोर

(4) मु0 कमला बेवा रामगोपाल

समस्त जाति महाजन निवासी बस्सी, तहसील बस्सी, जिला जयपुर ।

(5) राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बस्सी, जिला जयपुर ।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई - निषेधाज्ञा
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

श्रीमान्जी,

प्रार्थना पत्र प्रार्थी निम्नलिखित निवेदन है :-

(1) यह कि प्रार्थी ने उपरोक्त उनवानी वाद माननीय न्यायालय हाजा में सुदृढ तथ्यों के आधार पर पेश कर दिया है जिसमें सफलता मिलने की पूर्ण आशा है ।

(2) यह कि प्रार्थी ग्राम बस्सी तहसील बस्सी का मूल निवासी है तथा

LT-9 लोकार्पण	
13/6/17	पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प...बस्सी.................... में पेश हुई पत्रावली में कोई निर्णय पारित नहीं होने से अग्रिम कार्यवाही हेतु पत्रावली दिनांक 22/8/17 को पेश हो।
22/8/17	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली वास्ते तहसीलदार बस्सी से जवाब पेश होकर दिनांक 16/11/17 को पेश हो।
16/11/17	पत्रावली पेश हुई। बार द्वारा शोक प्रस्ताव पारित कर न्यायिक कार्य स्थगित रखे जाने के कारण पत्रावली वास्ते तहसीलदार बस्सी से जवाब हेतु दिनांक 17/11/17 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी बस्सी जिला जयपुर
17/11/17	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी श्री लगातार पाबन्द उप०। अप्रार्थी नं 5 की तामील मानी जाती है। अप्रार्थी अनुपस्थित। प्रार्थी के वकील की एकतरफा बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 24/11/17 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी बस्सी जिला जयपुर
24/11/2017	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, अप्रार्थी तहसीलदार, बस्सी द्वारा ~~[illegible]~~ दावे में प्रस्तुत जवाब तथा प्रार्थी की एकतरफा बहस का अवलोकन / मनन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि

लालाराम बनाम जगदीश नाराय

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशे
	24/11/2017	प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में प्रकट नहीं होता है क्योंकि दावे के आधार पर प्रस्तुत दावे/प्रार्थना पत्र में प्रार्थी स्वयं इस दावे के संबंध में कोई दस्तावेज/तथ्य पेश नहीं किया गया है और न ही अप्रार्थी विरुद्ध द्वारा कोई तथ्य व साक्ष्य पेश किये हैं। साथ ही सुविधा संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में प्रकट नहीं होता है क्योंकि न तो वर्तमान में वादग्रस्त भूमि प्रार्थी अथवा उसके परिजनों के नाम है न ही गत काल में प्रार्थी, उसके पिता अथवा उसके पितामह के नाम रहना ज्ञात होती है तथा जिनके नाम रही है उनके संबंध में विषय में कोई सपरा खातादार भी पेश नहीं किया गया है। अपूर्णनीय क्षति होने के तथ्य को प्रार्थी स्वयं प्रकट नहीं कर पाया है। यहाँ तक कि अप्रार्थीगण से उपस्थान का कथन करने के बावजूद तामील की सुनिश्चितता भी प्रार्थी नहीं कर पाया है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत-अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने के कारण खारिज किया [illegible]	